संख्या -01/1490/38-4-14-08 (बजट)/2013

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 15 जनवरी, 2015

विषय:- इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वय हेतु अनुदान संख्या- 13 में केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति । (75 प्रतिशत-25 प्रतिशत)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1006/सम्प्रेक्षा/इ0आ0यो0/2014-15,दिनांक-17 दिसम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानिक धनराशि रू0-720.00 करोड में से शासनादेश संख्या -545/38-4-14-08 (बजट)/2013, दिनांक-08 मई, 2014 द्वारा **रू0- 180.00** करोड शासनादेश संख्या-936/38-4-14-08(बजट)/2013, दिनांक-31 जुलाई,2014 द्वारा **रू0-37711.413** लाख, शासनादेश संख्या-1186/38-4-14-08 (बजट)/2013, दिनांक-11 नवम्बर,2014 द्वारा **रू0-894.404** लाख एवं शासनादेश संख्या-1251/38-4-14-08 (बजट)/13, दिनांक-13 नवम्बर,2014 द्वारा **रू0-394.087** लाख तथा शासनादेश संख्या-1330/38-4-14-08 (बजट)/13, दिनांक-26 नवम्बर,2014 द्वारा **रू0-4618.594** लाख की वित्तीय स्वीकृत दी जा चुकी है। उक्त प्राविधानित के अवशेष धनराशि में से इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 में केन्दांश की धनराशि की धनराशि रू0-116.350 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रू0-38.783 लाख अर्थात कुल धनराशि **रू0-155.133** लाख (रूपये एक करोड़ पचपन लाख तेरह हजार तीन सौ मात्) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृत श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों /शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो और आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुए निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से भी सन्तुष्ट हों।

2- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगा, के पश्चात् ही किया जायेगा।

3- समस्त व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग

समय से कर लिया जाया

2---

http://shasnadesh.up.nic.in

4- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समार्पित किया जायेगा।

5- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22 जुलाई,2014 में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक'' 4216-आवास पर पूॅजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-02-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना)-0201-इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0-75/रा-25-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायेंगो

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।

<u>संख्या- /1490 (1)/38-4-14 तददिनांक।</u>

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक एवं जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लख्नऊ ।
6- संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य/वारिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
11- गार्डबुक ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

http://shasnadesh.up.nic.in

http://shasnadesh.up.nic.in